भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1780
उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना

1780. श्री दिनेश चंद्र यादव:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री-विद्यालक्ष्मी योजना के प्रारंभ से अब तक लाभान्वित हुए विद्यार्थियों की संख्या, विशेष रूप से तकनीकी और कौशल-उन्मुख पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या का विशेषकर बिहार और आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) प्रधानमंत्री-विद्यालक्ष्मी योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इसकी शुरुआत से अब तक इस योजना पर राज्यवार और वर्षवार कितनी राशि वितरित और व्यय की गई है;
(ग) इस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;
(घ) आंध्र प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए अन्य पिछड़ा वर्ग/अ.जा./अ.ज.जा. पुरुष/महिला विद्यार्थियों की जिलावार संख्या कितनी है;
(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत शैक्षिक वित्तपोषण को श्रम बाजार की विशिष्ट कौशल मांगों, विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए कोई रणनीति तैयार की है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): दिनांक 6 नवंबर 2024 को शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना पीएम विद्यालक्ष्मी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय बाधाओं के कारण कोई भी छात्र उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। इस योजना के अंतर्गत, बिहार और आंध्र प्रदेश के छात्रों सहित सभी छात्रों को जमानत-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है, जिन्हें शीर्ष गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (क्यूएचईआई) में योग्यता के आधार पर प्रवेश मिलता है और जो शिक्षा ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने वाले सभी अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला छात्र इसका लाभ उठा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, यह योजना 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज छूट प्रदान करती है। एक लाख तक नए विद्यार्थियों को, जो किसी अन्य छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण पर ब्याज छूट नहीं प्राप्त कर रहे हैं, यह ब्याज छूट प्राप्त होगी। यदि ब्याज छूट का लाभ लेने के लिए नए आवेदकों की संख्या एक लाख से अधिक हो जाती है, तो समान अंतर-राज्यीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या के आधार पर राज्यों में अखिल भारतीय स्लॉट वितरित किए जाएंगे, जो बिहार के लिए 10,302 स्लॉट और आंध्र प्रदेश के लिए 3,428 स्लॉट होंगे। इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों को 3% ब्याज छूट का लाभ प्रदान करने के लिए, वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है।
जागरूकता बढ़ाने के लिए, योजना के दिशानिर्देश पहले ही शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/documentreports/PM_Vidyalaxmi_Scheme_Guidelines.pdf पर उपलब्ध करा दिए गए हैं तथा सभी सदस्य बैंकों को परिचालित कर दिए गए हैं।
एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल विकसित किया गया है, जिस पर छात्र सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज छूट हेतु आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों, निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए है। इन सभी उपायों का उद्देश्य योजना के विषय में व्यापक जागरूकता पैदा करना तथा ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के विद्यार्थियों सहित पात्र विद्यार्थियों को पीएम-विद्यालक्ष्मी का लाभ उठाने में मदद करना है।

पीएम-विद्यालक्ष्मी के तहत चयनित गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में वे उच्च शिक्षा संस्थाएं शामिल हैं, जो एनआईआरएफ की नवीनतम सूची में समग्र/श्रेणी-विशिष्ट और/या क्षेत्र-विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 रैंक में हैं; इसके अतिरिक्त एनआईआरएफ की नवीनतम सूची में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा शासित शीर्ष 200 रैंक वाले उच्चतर शिक्षा संस्थाएं; साथ ही भारत सरकार के शासनाधीन शेष सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाएं शामिल हैं। इस सूची का प्रत्येक वर्ष नवीनतम एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर अद्यतन किया जाता है। एनआईआरएफ रैंकिंग में रैंकिंग के मापदंडों के रूप में "स्नातक परिणाम" और "समकक्ष संस्थाओं की धारणा" शामिल हैं, जिसमें कैंपस प्लेसमेंट में स्थान पाने वाले स्नातकों का प्रतिशत, रोजगार पाने वाले स्नातकों का औसत वेतन, प्रतिष्ठित संगठनों के नियोक्ताओं और पेशेवरों की धारणा जैसी चीजें शामिल हैं। इस प्रकार, नवीनतम एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के तहत पात्र गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का चयन करते समय अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जिन उच्चतर शिक्षा संस्थाओं ने इन मापदंडों के माध्यम से श्रम बाजार-विशिष्ट मांगों के बेहतर कार्यान्वयन का प्रदर्शन किया है, उन्हें इस योजना में बढ़त मिले।

*****